

Need to provide treatment of infertility among women in Government Hospitals in Maharashtra and also set IVF Centres in hospitals in the State -? laid

डॉ. जयसिधेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): बांझपन प्रजनन प्रणाली की एक बीमारी है जिसमें शरीर का सबसे बुनियादी कार्य बच्चे पैदा करना नष्ट हो जाता है। गर्भवती होना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में हर छह में से एक व्यक्ति बांझपन से पीड़ित है। उच्च, मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले देशों के लिए यह अनुपात थोड़ा अधिक है। उच्च आय वर्ग वाले देशों में 17.8 प्रतिशत वयस्क बांझपन से पीड़ित हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा 16.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर के सभी देशों में बांझपन का इलाज आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आईवीएफ के दौरान, अंडाशय से परिपक्व अंडे एकत्र (प्राप्त किए जाते हैं) और प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा निषेचित किए जाते हैं। फिर निषेचित अंडे (भ्रूण) या अंडे (भ्रूण) को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईवीएफ के एक पूरे चक्र में लगभग तीन सप्ताह लगते हैं। कभी-कभी ये चरण अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।

भारत देश के विभिन्न राज्य में प्राइवेट आईवीएफ सेंटर उपलब्ध है। इस वर्ष गोवा राज्य के आरोग्य मंत्रालय द्वारा वंध्यत्व निवारण केंद्र शुरू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में निजी अस्पताल में वंध्यत्व निवारण केंद्र लगभग हर जिले में है। इसमें उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आईवीएफ उपचार के लिए आनेवाला खर्च लगभग लाखों में होने के कारण आम आदमी और विशेष करके गरीब परिवार इस उपचार से वंचित रहता है। इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से नम्र निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र के जिल्हा सरकारी अस्पताल में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में वंध्यत्व निवारण केंद्र शुरू करने बाबत योग्य कदम उठाये जाये और यह आईवीएफ सेंटर शुरू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करे।